84

संख्या– /xxiv(7)/2014–26(2)/11

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 28 फरवरी,2014

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–2014 में जनजाति उपयोजना अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, चकराता (देहरादून) के छात्रावास भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या संख्या–1250/xxiv(7)–26(2)/2011 दिनांक 30.07.2012 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या–डिग्री विकास/1131/2013–14 दिनांक 19.09.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत संचालित राजकीय महाविद्यालय चकराता के छात्रावास भवन निर्माण के द्वितीय चरण के कार्यो हेतु प्राकलित रू0 270.24 लाख की धनराशि के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोंपरान्त औचित्य पूर्ण पायी गयी रु0 265.09 लाख के विरूद्ध रू0 100.00 लाख (रु0 एक करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगी।

3– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

4– निदेशक उच्च शिक्षा, कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदायी संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरुप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेगें। यदि लिखित समयावधि के अर्न्तगत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदायी संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदायी संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

..................2/

39

5– उक्त निर्माण कार्य में आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्क्चर, जो भू वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार प्राविधानित किया गया है, के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा सुसंगत अभिलेखों में तकनीकी पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय तथा समय–समय पर रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 31 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक–4202 –शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–आयोजनागत –203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–03–राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावास/भवनों का निर्माण–00–24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–237(p)/xxvii(3)/2013–14 दिनांक 23 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

पृ0सं0 773 (1)/xxiv(7)/2014–26(2)/11तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
3–जिलाधिकारी देहरादून।
4–कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
5–परियोजना प्रबन्धक, उ0पे0सं0वि. एवं निर्माण निगम चकराता देहरादून।
6–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय चकराता देहरादून।
7–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9–वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप्र सचिव।

(५)